## न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन
### पीठासीन अधिकारी–श्री बाल मुकुन्द असावा, आई.ए.एस.

अपील संख्या– 41/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023/104

| अपीलार्थीगण | बनाम | रेस्पोडेन्ट |
|---|---|---|
| राजु खॉ पुत्र श्री नबीशेर खॉ जाति कायमखानी निवासी कायमनगर, तहसील डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन। | | तहसीलदार डीडवाना । |

**अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 4367 दिनांक 20.01.2017 को निरस्त कर पुनः अपीलार्थी के नाम दर्ज करने बाबत।**

–:निर्णयः–

दिनांकः 08.04.2024

अपील के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वाके शरहद डीडवाना खेत खसरा नम्बर 2308 रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 2310 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा तत्कालीन खातेदार अकबर पुत्र अनवर जाति सॉई डीडवाना के खातेदारी में था, मगर खातेदार अकबर का इन्तकाल होने से उसकी सगी भतीजी चॉद बीबी पुत्री नसीर खॉ पत्नी महबुब खॉ निवासी डीडवाना हाल निवासी सांभर जिला जयपुर ने न्यायालय तहसीलदार डीडवाना की अदालत में एक प्रार्थना पत्र भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136(2) के तहत प्रस्तुत किया। जिसमें न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय ने निर्णय दिनांक 10.11.2014 को खातेदार अकबर पुत्र अनवर के स्थान पर चॉद बीबी के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने की स्वीकृति दे दी। तत्पश्चात् जरिये नामान्तरकरण संख्या 4367 दिनांक 26.12.2014 को खसरा नम्बर 2308 की सम्पूर्ण खातेदारी एवं खसरा नम्बर 2310 में से 1/2 की भूमि में अकबर के स्थान पर चॉद बीबी का नाम खातेदारी में दर्ज कर लिया। नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं राजस्व रेकार्ड की [illegible] अपील के साथ प्रस्तुत है।

यह है कि वाके शरहद डीडवाना खेत खसरा नम्बर [illegible] बीघा [illegible] बिस्वा में से अपना 1/2 हिस्सा की चातेदारी चॉद बीबी ने सिक[illegible] पुत्र जलालूदीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.06 15:38:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

कौम देशवाली साकिन शेखाबासनी व मुशी खॉ पुत्र हासम खॉ जाति कायमखानी को पंजीकृत विक्रय के पश्चात् जरिये नामान्तरकरण संख्या 4385 दिनांक 25.02.2015 को राजस्व रेकार्ड में खातेदारी प्राप्त हो गई।

यह है कि उक्त खातेदारी के अनुसार वाके शरहद डीडवाना खसरा नम्बर 2310 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा में से अपना 1/2 हिस्सा अपीलार्थी राजु खां को जरिये पंजीकृत विक्रय–पत्र के बैचाण कर दी, तत्पश्चात उक्त खसरा के 1/2 हिस्सें की खातेदारी अपीलार्थी राजु खॉ के नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 4391 दिनांक 15.03.2015 के द्वारा राजस्व रेकार्ड में खातेदारी के हक का अंकन स्वीकार हुआ।

यह है कि उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने अपने निर्णय दिनांक 03.02.2016 द्वारा स्वीकृत नमान्तरकरण संख्या 4367 दिनांक 26.12.2014 निरस्त कर दिया।

यह है कि माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर के निर्णय दिनांक 03.02.2016 के विरूद्ध राजस्व मण्डल, अजमेर में अपील प्रस्तुत की, जिसमें राजस्व मण्डल, अजमेर ने माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर के निर्णय दिनांक 03.02.2016 को निरस्त कर तहसीलदार, डीडवाना द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 4367 दिनांक 26.12.2014 को यथावत रखे जाने का आदेश दिया। जिस निर्णय के अनुसरण में तहसीलदार डीडवाना द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण सं0 4367 पुनः निर्णय दिनांक 20.01.2017 के अनुसार चॉद बीबी पुत्री नसीर खॉ पत्नी महमुब खॉ के नाम अंकन स्वीकार कर दिया। जबकि चॉद बीबी ने जरिये पंजीकृत विक्रय–पत्र के खसरा नम्बर 2310 में अपना 1/2 सम्पूर्ण भूमि सिकन्दर अली पुत्र जलालूदीन कौम देशवाली निवासी शेखाबासनी व मुंशी खॉ पुत्र हासम खॉ कौम कायमखानी निवासी डीडवाना को सम्पूर्ण प्रतिफल राशी प्राप्त कर दिया। विक्रय पत्र के अनुसार नामान्तरकरण सं0 4385 दिनांक 25.02.2015 को सिकंदर व मुंशी खॉ का नाम खातेदारी में दर्ज हो गई। सिकन्दर खॉ व मुंशी खॉ द्वारा खसरा नम्बर 2310 में से अपना हिस्सा 1/2 सम्पूर्ण भूमि जरिये विकय–पत्र अपीलार्थी राजू खॉ को जरिये विकय पत्र सुपुर्द कर दी। तत्पश्चात् नामान्तरकरण सं0 4391 [illegible] 14.03.2015 के अनुसार उक्त भूमि अपीलार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड में [illegible] राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय/आदेश दिनांक 11.01.2017 [illegible] अनुसार वादित नामान्तरकरण सं0 4367 पुनः निर्णय दिनांक 20.01.2017 के [illegible] खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.06 15:38:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना-कु...

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

2310 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा भूमि में से 1/2 भाग की भूमि अकबर खॉ पुत्र अनवर खॉ के स्थान पर चांद बीबी पुत्री नसीर खॉ पत्नी श्री महबूब खॉ निवासी सांभर के हक में खातेदारी का अंकन स्वीकार कर दिया, जबकि वादित खासरा नम्बर 2310 का विक्रय चांद बीबी द्वारा सिकन्दर व मुंशी खॉ को अपना 1/2 हिस्सा सम्पूर्ण भूमि बैचाण करने के पश्चात् नामान्तरकरण सं0 4385 दिनांक 25.02.2015 स्वीकार हुआ। जिसके अनुसार सिकन्दर व मुंशी खॉ द्वारा वादित खसरा नम्बर में से 1/2 भाग सम्पूर्ण भूमि अपीलार्थी को बैचाण कर दी। जिसके अनुसार नामान्तरकरण सं0 4391 दिनांक 14.03.2015 के अनुसार खसरा नम्बर 2310 में से 1/2 हिस्सा की भूमि राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थी के नाम दर्ज हो गयी। इसलिए चांद बीबी के नाम नामान्तरकरण सं0 4367 के पश्चात् नामान्तरकरण सं0 4391 दिनांक 14.03.2015 को बहाल रखा जाना आवश्यक व न्याय संगत है, जिस हेतु यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत है।

:– अपील के आधार –:

1. यह है कि नामान्तरकरण सं0 4367 दिनांक 26.12.2014 के अनुसार चांद बीबी को खसरा नम्बर 2310 की भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि का खातेदार घोषित कर दिया गया। चांद बीबी द्वारा उक्त सम्पूर्ण 1/2 भूमि का बैचाण सिकन्दर अली पुत्र जलालुदीन व मुंशी खॉ पूत्र हासम खॉ को जरिये पजिकृत बैचाण कर दिया, जिसपर नामान्तरकरण सं0 4385/25.02.2015 द्वारा सम्पूर्ण खातेदारी सिकन्दर अली व मुंशी खॉ के नाम दर्ज हो गई। जिससे भी अपीलार्थी की अपील स्वीकार होने योग्य है।

2. यह है कि सिकन्दर अली व मुंशी खॉ ने जरिये बैचाण खसरा नम्बर 2310 की भूमि में से 1/2 हिस्सा की खातेदारी जरिये नामान्तरकरण सं0 4391 दिनांक 14.03.2015 के अनुसार अपीलार्थी के नाम स्वीकृत हो गयी। जिससे भी यह अपील स्वीकार होने योग्य है।

3. यह है कि उक्त बैचाणनामों के आधार पर अपीलार्थी के राजस्व रेकार्ड में जरिये नामान्तरकरण के दर्ज हो चुके है व अपीलार्थी ने अपने अपने हिस्सें पर काबिज भी चला आ रहा है, परन्तु राजस्व मण्डल, अजमेर [illegible] अनुसार अपीलार्थी का नाम दर्ज नही कर पुन खासरा [illegible] बिस्वा भूमि के 1/2 हिस्से में अकबर खॉ पुत्र अनवर खॉ के स्थान [illegible] बीबी पुत्री नसीर खां पत्नी महमुब खॉ का नाम दर्ज कर दिया, जबकि [illegible] बीबी द्वारा उक्त खारारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.06 15:38:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कु

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

नम्बर में अपना 1/2 सम्पूर्ण हिस्से की भूमि का बैचाण किया जा चुका है, वह उसी के आधार पर क्रेता/अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो चुका, इसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध निर्णय पारित करने में भारी विधिक भूल की है, जिससे भी अपीलार्थी की अपील स्वीकार होने योग्य है।

4. यह है कि नामान्तकरण सं0 4367 पुनः निर्णय दिनांक 20.01.2017 के अनुसार खसरा नम्बर 2310 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा में से 1/2 हिस्से की भूमि पुनः चांद बीबी के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन कर दिया गया, जिसकी जानकारी अपीलार्थी को नही होने दी एवं पुनः नामान्तरकरण की जानकारी होते ही नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति दिनांक 27.01.2022 को लेने पर उक्त नामान्तरकरण की जानकारी हुई है, जिससे भी यह अपील अन्दर मयाद पेश है।

अतः अपील अपीलार्थी प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण सं0 4367 पुनः निर्णय दिनांक 20.01.2017 से पूर्व तथा नामान्तरकरण सं0 4367 दिनांक 26.12.2014 के पश्चात् जरिये विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण सं0 4391 दिनांक 14.03.2015 अपीलार्थी राजु खॉ के नाम किये गये नामान्तरकरण के आधार पर राजस्व रेकार्ड में एवं नामान्तरकरण रिकार्ड में दुरूस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट का मूल रिकॉर्ड प्राप्त हुआ। वकील अपीलार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील में लिखे गये तथ्यों को दोहराया तथा अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण सं0 4367 पुनः निर्णय दिनांक 20.01.2017 से पूर्व तथा नामान्तरकरण सं0 4367 दिनांक 26.12.2014 के पश्चात् जरिये विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण सं0 4391 दिनांक 14.03.2015 अपीलार्थी राजु खॉ के नाम किये गये नामान्तरकरण के आधार पर राजस्व रेकार्ड में एवं नामान्तरकरण रिकार्ड में दुरूस्त करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण में न्यायालय तहसीलदार डीडवाना द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 4367 में दिनांक 20.01.2017 को कि[illegible] को चुनोती दी गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 4367 दिनांक 20.01.2017 को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपील संख्या 830/2016 में पारित निर्णय दिनांक 11.01.2017 की अनुपालना में आराजी संख्या 2308 [illegible]बर खां पुत्र अनवर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.06 16:38:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना-कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना-कुचामन

खां के स्थान पर चांद बीबी पुत्री नसीर खां तथा अराजी संख्या 2310 में अकबर पुत्र अनवर 1/2, चांद बीबी पुत्री नसीर खां 1/2 का अंकन किये जाने के आदेश दिये गये। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 11.01.2017 का अवलोकन किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अंकित किया "उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामें अनुसार इस अपील को निर्णित किया जाकर अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त अजमेर का निर्णय दिनांक 03.02.2016 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार डीडवाना द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 4367 दिनांक 26.12.2014 को यथावत रखा जाता है।" नामान्तरकरण संख्या 4367 दिनांक 26.12.2014 में आराजी संख्या 2308 अकबर खां पुत्र अनवर खां के स्थान पर चांद बीबी पुत्री नसीर खां तथा अराजी संख्या 2310 में अकबर पुत्र अनवर 1/2, चांद बीबी पुत्री नसीर खां 1/2 का अंकन किये जाने के आदेश दिये गये। उक्त तथ्यों से यह प्रमाणित है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया नामान्तरकरण माननीय न्यायलय के आदेशों के अनुरूप है।

अपीलांट का यह कथन है कि नामान्तरकरण संख्या 4367 दिनांक 26.12.2014 को स्वीकृत करने के निर्णय के पश्चात् चांद बीबी द्वारा आराजी संख्या 2310 की 1/2 हिस्सा भूमि सिकन्दर खां एवं मूंशी खां को जरिये पंजीयन विक्रय कर दी तथा सिकन्दर खां व मुंशी खां ने जरिये विक्रय पत्र आराजी संख्या 2310 की 1/2 हिस्से की भूमि अपीलांट को विक्रय कर दी।

इस प्रकार subsequent विक्रय हो जाने के कारण चांद बीबी का आराजी संख्या 2308 एवं 2310 पर कोई अधिकार नहीं रहा। अतः चांद बीबी के नाम पर नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने में अधिनस्थ न्यायालय ने वैद्यानिक त्रुटि की है परन्तु अपीलार्थी द्वारा अपने अपील में यह तथ्य कहीं सिद्ध नहीं किया है कि क्या उनके द्वारा सम्भागीय आयुक्त न्यायालय अथवा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर न्यायालय में पक्षकार बनने बाबत् कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

चांद बीबी के नाम पर विरासतन आराजी संख्या 2308 व 2310 हस्तान्तरण करने के आदेश को माननीय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त न्यायालय द्वारा दिनांक 03.02.2016 को खारिज/अपास्त कर दिया गया त[illegible] आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण को भी दिनांक 09.03.2016 को तहसीलदार [illegible] द्वारा खारिज कर दिया। अपीलांट के कथन के अनुसार [illegible] पूर्व क्रय कर ली गयी थी। ऐसी स्थीति में चांद बीबी के पक्ष में ह[illegible]न्तरण आदेश अपास्त हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.06 15:38:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना-कु...

जिला कलक्टर
डीडवाना-कुचामन

जाने से उनके पश्चात् किया गया subsequent विक्रय स्वतः ही प्रभावित होता है जिससे अपीलार्थी भी प्रभावित होते है। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा अपने पक्ष के समस्त तथ्य माननीय राजस्व मण्डल अजमेर न्यायालय में प्रस्तुत किये जा सकते थे परन्तु अपीलार्थी द्वारा यह नहीं किया गया।

प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 4367 धारा 135(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत विरासतन उत्तराधिकार के आधार पर स्वीकृत किया गया था जिसे राजस्व मण्डल अजमेर न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11.01.2017 में यथावत रखने के आदेश दिये गये।

राजस्थान लेण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 की धारा 75 में प्रावधान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण स्वीकृती के निर्णय में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होने पर अपील के प्रावधान है। अपीलांट विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण की स्वीकृती की राहत चाहते है जो इस अपील के माध्यम से प्रदान नहीं किये जा सकते है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार नामान्तरकरण संख्या 4367 में दिनांक 20.01.2017 को किया गया निर्णय माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय की अनुपालना में किया गया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

आदेश सरे इजलास आज दिनांक 08.04.2024 को सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना–कु...

8/4/24

(बाल मुकुन्द असावा, IAS)
जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.06 15:38:21 IST
Reason: SelfAttested